# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–45/2015

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

**शीर्षक**

1. भंवरलाल आत्मज सुखा नाई
2. मु0 गीता पुत्री सुखा नाई
3. मु0 पुष्पा पुत्री सुखा नाई
4. मु0 सीता पुत्री सुखा नाई
5. मु0 शांति बेवा सुखा नाई सर्व निवासी मैलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण–––

**बनाम**

1. रामा आत्मज मोहन नाई
2. केशु आत्मज मोहन नाई
3. मु0 पारसी बेवा सोहन नाई
4. मु0 देऊ पुत्री सोहन नाई ना0बा0ब0 जरिये संरक्षक माता मु0 पारसी बेवा सोहन नाई सर्व निवासी मैलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. उप पंजीयक सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण–––

**अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट**

**निर्णय** दिनांक 25.11.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मेलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 106 में अंकित आराजी संख्या 1562 रकबा 0.19 हे0, 1563 रकबा 0.22 हे0 , 1564 रकबा 0.03 हे0 गे0मु0 चाह, 1565 रकबा 0.35 हे0, 1762 रकबा 0.18 हे0, 1763 रकबा 0.10 हे0, 1764 रकबा 0.13 हे0, 1765 रकाब 0.37 हे0, 1766 रकबा 0.05 हे0 गे0मु0 चाह, 1767 रकबा 0.09 हे0, 1935 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 चाह कुल किता 11 कुल रकबा 1.73 हे0 भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण का 1/10 हक व हिस्सा तथा मृतक खातेदार मु0 मोडी बेवा मोहन का 1/10 हक व हिस्सा होना अंकित है चुंकि खातेदार मु0 मोडी बेवा मोहन नाई प्रार्थीगण की दादी व सास होने से उनके हिस्से में से प्रार्थीगण का 1/40 हक व हिस्सा कानून आता है। जिससे हम प्रार्थीगण का विवादियात आराजियात में 1/8 हक व हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 1/8 हक व हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 2 का 1/8 हक व हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 3 लगायत का 5 का 1/8 हक व हिस्सा तथा कैलाश, नारायण, कालु आत्मज उदा व संतोकी बेवा उदा का 1/6 हिस्सा तथा कन्हैयालाल, पूरणमल, सावंरमल आत्मज शंकरलाल , मु0 रेखा, मु0 [illegible] बेवा शंकरलाल नाई का 1/6 हक व हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कि विवादित आराजियात में से आराजी संख्या 1762, 1762, 1764, 1765, 1766, 1767 ग्राम मैलुनीखेड़ा आबादी में स्कूल के पास तथा आराजी संख्या 1562, 1563, 1564, 1564, 1565,

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा



Scanned by CamScanner

1935 ग्राम मैलुनीखेड़ा से सुण्डा का खेड़ा रोड़ के अन्दर स्थित होने से उपरोक्त आराजियात कमा विभाजन मौके पर अलग– अलग जिया जाना आवश्यक है।

यह कि विवादित आराजियात पक्षकारान के मध्य सामलाती दर्ज अभिलेख होने से प्रत्येक खसरा संख्या में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या एक लगायत पांच एवं अन्य खातेदारान का संयुक्त रूप से हक व हिस्सा निहित होने से प्रार्थीगण अपने 1/8 हिस्से को कानूनन विभाजन करा तहसीलदार सहाड़ा के मार्फत स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि विवादित आराजियात मे से आराजी संख्या 1766, 1564, 1935 की किस्म गै0मु0 आराजी चाह होने से उक्त आराजियात पक्षकारान के मध्य सामलाती दर्ज अभिलेख की रखी जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 उक्त वर्णित आराजियात को बिना कानून विभाजन कराये अपने हक व हिस्से को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात पर से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, अजनबी व्यक्ति को विक्रय नही करे तथा नही विशेष खसरा नम्बर पर अजनबी व्यक्ति को मौके पर अधिपत्य ही सिपुर्द कर प्रवेष करावें । विपक्षी संख्या 06 प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात के सबंध में किसी प्रकार से दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2015 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगण नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 01 व 3 लगायत 05 अनुपस्थित इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पेरोकार सरकार उपस्थित । विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित। वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित । प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षी नं0 2 ने दौराने बहस स्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। विपक्षी संख्या 6 औपचारिक पक्षकार हैं अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवबादेही बंद की जाती है प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। ग्राम मेलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 106 में अंकित आराजी संख्या 1562 रकबा 0.19 हे0, 1563 रकबा 0.22 हे0 , 1564 रकबा 0.03 हे0 गे0मु0 चाह, 1565 रकबा 0.35 हे0, 1762 रकबा 0.18 हे0, 1763 रकबा 0.10 हे0, 1764 रकबा 0.13 हे0, 1765 रकाब 0.37 हे0 1766 रकबा 0.05 हे0 गे0मु0 चाह, 1767 रकबा 0... हे0 1935 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 चाह कुल किता 11 कुल रकबा 1.73 हे0 भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण का 1/10 हक व हिस्सा तथा मृतक खातेदार मु0 मोडी बेवा मोहन का 1/10 हक व हिस्सा होना अंकित है चुंकि खातेदार मु0 मोडी बेवा मोहन नाई प्रार्थीगण की दादी व सास होने से उनके हिस्से में से प्रार्थीगण का 1/40 हक व हिस्सा कानून आता है। जिससे हम प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कलेक्टर पदेन
...पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

विवादियात्त आराजियात में 1/8 हक व हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 1/8 हक व हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 2 का 1/8 हक व हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 3 लगायत का 5 का 1/8 हक व हिस्सा तथा कैलाश, नारायण, कालु आत्मज उदा व संतोकी बेवा उदा का 1/6 हिस्सा तथा कन्हैयालाल, पूरणमल, सावंरमल आत्मज शंकरलाल, मु0 रेखा, मु0 सीमा पुत्री शंकरलाल व गीता बेवा शंकरलाल नाई का 1/6 हक व हिस्सा निहित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता हैं तथा प्रार्थीगण का उक्तानुसार हिस्से पर निरंतर कब्जा होने से सुविधा संतुलन का पक्ष भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजियात का विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हो जाने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## —: आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता ग्राम मेलुनीखे
तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 106 में अंकित आराजी संख्या 156
रकबा 0.19 हे0, 1563 रकबा 0.22 हे0 , 1564 रकबा 0.03 हे0 गे0मु0 चाह, 1565 रकबा 0.
हे0, 1762 रकबा 0.18 हे0, 1763 रकबा 0.10 हे0, 1764 रकबा 0.13 हे0, 1765 रकाब 0.37 हे
1766 रकबा 0.05 हे0 गे0मु0 चाह, 1767 रकबा 0.09 हे0, 1935 रकबा 0.02 हे0 गे0मु0 चाह कु
किता 11 कुल रकबा 1.73 हे0 भूमि स्थित है।उक्त आराजियात से विपक्षीगण प्रार्थीगण के हि
की भूमि से बेदखल नहीं करे तथा रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। बाद दाखला रजि
के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावती मूलवाद के साथ संग्रह की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:09:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner